प्रेषक

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–अ0नि0 / यू0आई0पी0 / कैम्प / आर.आई. / 2016–17 / 4236-75 दिनांकः 14/9/2016

विषय– नियमित टीकाकरण कार्यक्रम 2016–17 के कियान्वयन हेतु सामान्य एवं वित्तीय दिशा–निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शिशु मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक टीका रोधक बीमारिया (Vaccine Preventable Diesases) है, जिनको नियमित टीकारकण द्वारा रोका जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में **समस्त विभागीय एवम अन्य सहयोगियों** के प्रयासो से, पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत लगातार बढ रहा है। ए0एच.0एस0 वर्ष 20102–13 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 52.7 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में **डब्लू एच ओ / यूनिसेफ** मॉनीटरिंग डेटा के अनुसार 69.8 प्रतिशत रहा है।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में 8 जानलेवा बीमारियों (टी0बी0, डिफ्थीरिया, काली खॉसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, हैपेटाइटिस–बी तथा हिब–निमोनिया) से बचाव हेतु बच्चों को बी0सी0जी0, पेन्टावेलेन्ट, पोलियो, मीजिल्स, हैपेटाइटिस–बी तथा डी0पी0टी0 के टीके दिये जाते हैं साथ ही मीजिल्स के साथ विटामिन 'ए' की खुराक दी जाती है तथा गर्भवती महिलाओं को टी0टी0 का टीकाकरण किया जाता है। जैपनीज इन्सेफलाइटिस से बचाव हेतु प्रदेश के 38 संवेदनशील जनपदों में जे0ई0 टीकाकरण नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत जे0ई0 वैक्सीन की दो डोज (9–12 माह प्रथम एवं 16–24 माह द्वितीय डोज) नियमित रूप से दी जा रही है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष नवम्बर 2015 में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में आई0पी0वी0 (इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन) तथा वर्ष दिसम्बर 2015 पैन्टावेलेन्ट वैक्सीन (डी0पी0टी0, हेप. बी0 एवं हीमोफ्लिस इन्फ्ल्यूजी टाइप बी0) को भी शामिल कर लिया गया है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम **हेतु** 2016–17 के लिये दिशानिर्देश निम्नवत है–

नियमित टीकाकरण कार्ययोजना (माइक्रोप्लान):–

(क) उपकेन्द्र हेतु माइक्रोप्लान–

- नियमित टीकाकरण के लिए उपकेन्द्र वार कार्ययोजना वर्ष २०१५-१६ में दिए गए प्रशिक्षण के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों तथा दिशानिर्देशों के आधार पर बनायीं जाए तथा प्रति तिमाही अथवा छमाही पर कार्ययोजना को अधुनान्त करा जाये
- उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गाँवों-मजरों, **टोलों** एवं **अन्य आबादी क्षेत्रों** की सूची सभी हाई रिस्क समूह (HRG) को **चिन्हित** करते हुए बनाई जाय।
- सभी सूचीबद्ध क्षेत्रों की कुल वास्तविक जनसंख्या **हेड काउंट के आधार पर** दिखाई जाय।
- उपकेन्द्र पर यदि एक से अधिक ए0एन0एम0 तैनात हैं तो उनका **अलग अलग** टीकाकरण क्षेत्र चिन्हित कर विभाजित किया जाय। इसी प्रकार समस्त ग्राम मंजरों में आशा कार्यकत्री का कार्यक्षेत्र चिन्हित किया जाय तथा एक से अधिक आशाओं के मध्य क्षेत्र वितरण पोलियो माइक्रोप्लान की मदद से सुनिश्चित किया जाय।

- क्षेत्रवार/ग्रामवार लाभार्थी (गर्भवती महिला/नवजात शिशु) की वार्षिक एवं मासिक संख्या का आंकलन, आशा ट्रेकिंग बुकलेट अथवा वी0एच0आई0आर0 की मदद से वास्तविक हेड काउन्ट के आधार पर लिखी जानी है।
- प्रत्येक वैक्सीन एवं विटामिन 'ए' हेतु कुल मासिक लाभार्थी (गर्भवती महिला/नवजात शिशु) की गणना करें।
- लाभार्थी (गर्भवती महिला/नवजात शिशु) की मासिक संख्या के अनुसार वैक्सीन वायल एवं विटामिन 'ए' की शीशियों की संख्या की मासिक आवश्यकता लिखें।

सत्रों की संख्या का आंकलनः (याद रखें गांवों एवं मजरों में सत्रों की संख्या का आंकलन इंजेक्शन की संख्या/लोड के आधार पर ही कि या जाना है।)

आउटरीच सत्रों (कोल्ड चेन/आई0एल0आर0 प्वाइंट से दूर) के लिये मानकः	
25 इंजेक्शन से कम	एक सत्र प्रति दो माह
25 से 50 इंजेक्शन तक	एक सत्र प्रति माह
50 इंजेक्शन से अधिक	दो सत्र प्रति माह

दुर्गम एवं ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 1000 से कम हो वहां कम से कम एक वर्ष में 4 सत्रों का आयोजन किया जायेगा।	
फिक्स्ड साइट (पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/ कोल्ड चेन/आई0एल0आर0 प्वाइंट) पर सत्रों के लिये मानकः	
40 इंजेक्शन से कम	एक सत्र प्रति दो माह
40 से 70 इंजेक्शन तक	एक सत्र प्रति माह
70 इंजेक्शन से अधिक	दो सत्र प्रति माह

- इंजेक्शन लोड आदि की गणना हेतु माइक्रोप्लान के प्रपत्रों की गणना युक्त साफ्ट कापी उपलब्ध करा दी गयी है साथ ही जिला चिकि0/सं0चि0/मेडिकल कालेज में प्रतिदिन टीकाकरण सत्र कराना सुनिश्चित करें।
- उपकेन्द्र की कार्ययोजना (रोस्टर) बनाकर सम्बन्धित गांवों एवं मजरों के नाम और वहां आयोजित होने वाले सत्रों का दिन लिखें।
- उपकेन्द्र का नक्शा बनाए जिसमें स्वास्थ्य केन्द्र (कोल्ड चेन) से दूरी, उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गांवों एवं मजरों के नाम एवं दूरी, टीकाकरण दिवस, जनसंख्या एवं लाभार्थी संख्या लिखें।
- ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र /सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर आने वाले लाभार्थियों की संख्या अधिक हो, उन लाभार्थियों हेतु प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को टीकाकरण सत्र आयोजित करना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक सत्र पर सम्बधित हाई रिस्क समूह (HRG) क्षेत्र की टैगिंग सुनिश्चित करी जाय, उपकेन्द्र के अन्तर्गत अत्यन्त छोटे-छोटे मज़रों को भी सत्रवार टैग कर लिया जाय तथा *मिशन इन्द्रधनुष के अन्तर्गत लगाये गए अतिरिक्त सत्रों को नियमित टीकाकरण कार्ययोजना में शामिल किया जाना सुनिश्चित करें।*

(ख) **ब्लाक पर माइक्रोप्लान बनाने के निर्देश–**

- प्रत्येक ब्लाक का नक्शा बनाया जाये तथा इसके अंतर्गत आने वाले सभी स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, एवं सभी गांवों को दर्शाया जाय।
- ब्लाक के सभी गांवों, मजरों एवं शहरी क्षेत्रों को माइक्रोप्लान में शामिल किया जाये और कोई भी क्षेत्र इस प्रक्रिया से छूटे नहीं, सुनिश्चित करने हेतु इसको पोलियो माइक्रोप्लान से मिलान किया जाय तथा यह भी ध्यान रहे कि सत्रों का आयोजन मानक के अनुसार ही हो।
- नियमित टीकाकरण सत्रों का आयोजन कार्ययोजना के अनुरूप "निश्चित दिवस एवं निश्चित स्थान" जैसे उपकेन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य सामुदायिक स्थान जहां ज्यादा संख्या में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं लाभान्वित हो सके, पर किया जाय।

- टीकाकरण सत्रों के शत्–प्रतिशत् आयोजन हेतु उपलब्ध मानव संसाधन (स्वास्थ्य कार्यकत्री) एवं कार्य दिवसों के आधार पर वैकल्पिक सत्र व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय। अगर किसी सार्वजनिक अवकाश या अन्य कारणों से सत्र आयोजित नही हो सके तो ऐसी स्थिति में प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी छूटे हुए सत्रों की वैकल्पिक कार्ययोजना बनवाकर पूर्ण टीकाकरण करायें। माह के अन्तिम सप्ताह में विशेष कार्ययोजना बनाकर छूटे हुए सत्रों के लिये कार्ययोजना बना कर टीकाकरण पूर्ण कराया जाये।
- मिशन इन्द्रधनुष के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले अतिरिक्त सत्रों (दुर्गम क्षेत्र, रिक्त उपकेन्द्र, छूटे हुये मज़रे एवं घूमन्तू आबादी वाले क्षेत्र) को नियमित टीकाकरण कार्ययोजना में शामिल कर पूरे क्षेत्र को आच्छादित किया जाय। **इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए मोबाइल टीम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, परन्तु मोबाइल टीम कार्ययोजना में प्रत्येक स्थल के लिए** पृथक से वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक **का इंतजाम करा जाये**
- ब्लाक स्तर पर वैक्सीन भण्डार से सत्र स्थल तक वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक पहुंचाने की व्यवस्था आल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी (ए0वी0डी0) के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। इस कार्य हेतु किसी जिम्मेदार व्यक्ति को चिन्हित किया जाये एवं कार्ययोजना में उनका नाम एवं मोबाईल नं0 स्पष्ट किया जाये।
- प्रत्येक सत्र हेतु गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का चिन्हीकरण ए0एन0एम0/आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्री के सहयोग से कराया जाये तथा उसके अनुरूप वैक्सीन एवं अन्य लॉजिस्टिक की आवश्यक मात्रा का सही रूप से आंकलन कर प्रत्येक सत्र हेतु उपयुक्त मात्रा में वैक्सीन तथा अन्य लॉजिस्टिक उपलब्ध कराई जाए।
- प्रदेश के 11 चिन्हित बड़े शहरों तथा अन्य शहरों की मलिन बस्तियों/अति पिछड़े क्षेत्र हेतु जहॉं शहरी स्वास्थ्य मिशन के अनर्तगत ए0एन0एम0 कार्यरत नहीं हैं वहॉं पर वैक्सीनेटर के माध्यम से टीकाकरण कार्ययोजना तैयार करते हुये टीकाकरण कराया जाये।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार मलिन बस्तियों/अति पिछड़े क्षेत्र में 10,000 की जनसंख्या में प्रति माह 4 टीकाकरण सत्र आयोजित किये जाने है। शहरी क्षेत्र में तैनात नियमित ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 का आंकलन कर कार्ययोजना तैयार कर लें, इसके अतिरिक्त एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत प्रत्येक अरबन हेल्थ पोस्ट पर कार्यरत ए0एन0एम0 की सेवायें भी ली जाये।

(ग) MCTS Generated work Plan

प्रत्येक सत्र हेतु ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनवाड़ी के सहयोग से गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का चिन्हीकरण कर **''मातृ एवं बाल स्वास्थ्य रजिस्टर'' (आर0सी0एच0 रजिस्टर)** में अंकित करेंगी। ए0एन0एम0 द्वारा अपने उपकेन्द्र की गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की सूची बनाने के उपरान्त प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सूची को ब्लाक स्तर पर Mother and child Tracking Software में कम्प्यूटराइज्ड कराया जायेगा तथा सत्र दिवस से पूर्व प्रत्येक ए0एन0एम0 को MCTS Generated work Plan दिया जाय तत्पश्चात् प्रत्येक सत्र में ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध करायी गयी सेवाओं को सत्र के पश्चात् एम0सी0टी0एस0 में अपलोड किया जाय तथा यह प्रक्रिया **प्रत्येक** सत्र हेतु निरन्तर दोहरायी जाय।

1. **श्रीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) रख–रखावः–**

- जनपद एवं ब्लाक स्तर पर वैक्सीन भण्डारण हेतु स्थापित कोल्ड चेन उपकरणों की क्रियाशीलता एवं रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए ताकि समस्त वैक्सीनों को सही तापमान ($+2^0$ सेल्सियस से $+8^0$ सेल्सियस) में सुरक्षित रखा जा सके।
- प्रत्येक उपकरण में भण्डारण को तापमान को थर्मामीटर से दिन में दो बार अवश्य जांच कर लॉग बुक **(नवीन लॉगबुक)** में दर्ज किया जाय तथा वैक्सीन भण्डारण हेतु ILR का प्रयोग किया जाय। प्रत्येक

कोल्डचेन पॉइन्ट पर यू0एन0डी0पी0 के सहयोग से टैम्प्रेचर लॉगर लगा दिये गये है जिसकी मॉनीटरिंग ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर प्रतिदिन करना आवश्यक है।

- वैक्सीन को सही तापमान पर रखने हेतु लगातार प्रतिदिन 8 घण्टे सही वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति होना अत्यन्त आवश्यक है। जिन केन्द्रों पर विद्युत आपूर्ति कम हो उनको चिन्हित कर विद्युत आपूर्ति बढ़ाने अथवा वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया जाय।
- जनपद एवं ब्लाक स्तर पर कोल्ड चेन उपकरणों के रख–रखाव, वैक्सीन भण्डारण का नियमित रूप से चिकित्साधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाय तथा प्रत्येक उपलब्ध कराई गयी नवीन लागबुक में उसे अंकित किया जाय।
- प्रदेश में वैक्सीन प्राप्त करने तथा वितरित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इसी क्रम में समस्त जनपदों को नई वैक्सीन वैन उपलब्ध करा दी गयी है जिसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाये कि जनपद से सभी कोल्डचेन पॉइन्ट पर वैक्सीन का वितरण किया जाये। महानिदेशालय परिवार कल्याण के वैक्सीन डिपो से वैक्सीन तभी मंगाई जाये जब उनके सम्बन्धित मण्डल डिपो में वैक्सीन उपलब्ध न हो। वैक्सीन प्रबन्धन हेतु कोल्ड चेन हेण्डलर को यू0एन0डी0पी0 के सहयोग से eVIN के अन्तर्गत स्मार्ट फोन उपलब्ध कराये गये हैं तथा सभी को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- कोल्ड चेन से वैक्सीन भेजते समय FEFO (First Expiry First out) तथा FIFO (First In First out) का पालन किया जाय। प्राथमिकता FEFO को दी जाय। वैक्सीन भण्डारण कक्ष में उपलब्ध आई0एल0आर0 में केवल नियमित टीकाकरण की वैक्सीन एवं उससे सम्बन्धित डाइल्यूएंट ही रखे जायें। टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित वैक्सीन के अतिरिक्त कोई अन्य वैक्सीन (जैसे एन्टी रेबिज वैक्सीन, एन्टी स्नैक वैनम एवं अन्य औषधियों) का भण्डारण ILR एवं डीप फ्रीजर में किसी भी दशा में न किया जाये। यदि उक्त वैक्सीन किसी भी कोल्डचेन पॉइन्ट पर पाई जाती है तो सम्बन्धित नोडल अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होगा।
- वैक्सीन वितरण हेतु उपलब्ध कराये गए रजिस्टर एवं ANM की वैक्सीन डायरी का निर्देशानुसार समुचित उपयोग किया जाय।
- जनपद एवं ब्लाक स्तर पर उपलब्ध जेनरेटर का रख–रखाव सही रखा जाए तथा प्रत्येक जेनरेटर का जब उपयोग किया जाय तो समय का अंकन जेनरेटर की लॉग बुक में अवश्य किया जाय।
- टीकाकरण सत्रों हेतु वैक्सीन वितरण से पूर्व डीप फ्रिज़र से निकालकर आईस पैकों की कन्डीशनिंग के उपरान्त ही उपयोग किया जाय।
- घोलक को (डाइल्यूएंट) वैक्सीन निर्गत होने के पूर्व आई0एल0आर0 में रखा जाय ताकि वितरण के समय वैक्सीन एवं घोलक का तापमान एक समान हो।

2. **<u>ओपन वायल पालिसीः–</u>**

सभी पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 / शहरी इकाईयों के नोडल अधिकारी ओपन वॉयल पॉलिसी का कड़ाई से पालन करें, जिससे वैक्सीन का होने वाला वेस्टेज कम से कम किया जा सके। इस हेतु सभी को सी0डी0 राइटर पेन उपलब्ध कराया जाये।

- सभी वैक्सीनों पर इस्तेमाल / खोलते समय समय व तारीख अंकित करें।
- समस्त वैक्सीन (खुली वायल) डी0पी0टी0, टी0टी0, हेप बी, ओ0पी0वी0, आई0पी0वी0 एवं पैन्टावेलेन्ट वैक्सीन शीत श्रृंखला में वापस आयेगी तथा कोल्डचेन प्वाइंट पर लाकर **<u>चिन्हित ILR</u> में वैक्सीन वार डिब्बे बना कर** रखी जाय।
- इन खुली वाइल को खुलने **की तिथि** के चार सप्ताह तक उपयोग किया जा सकता है (दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत) तथा बिना रैपर, **बिना तारीख, समय** एवं बिना VVM के वाइल का प्रयोग कदापि न करें।
- ध्यान रखें कि ओपन वाइल पॉलिसी खसरा, बी0सी0जी0 एवं जे0ई0 वैक्सीन पर लागू नहीं होती।

- टीकारण सत्रों पर उपयोग की गयी **सभी खाली** वैक्सीन वाइल **इत्यादि** भी कोल्डचेन पॉइन्ट पर वापस आनी है उनको 48 घन्टे तक चिन्हित कोल्ड बॉक्स में रखना है उसके उपरान्त नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा।

3. **टीकाकरण सत्र का आयोजनः—**

- टीकाकरण सत्र कार्ययोजना के अनुसार आयोजित किये जायें एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक स्थिति में ब्लाक स्तर एवं सत्र स्थल पर वैक्सीन की उपलब्धता उक्त दिवस की ड्यू लिस्ट के अनुसार सुनिश्चित की जाय।
- अच्छी हालत के वैक्सीन कैरियरों को ही चुनकर उपकेन्द्रवार चिन्हित किया जाय तथा सत्रों पर वैक्सीन व डाइल्यूएंट जिपर बैग में ही भेजे जाय।
- वैक्सीन के साथ उपलब्ध कराये गये डाइल्यूएंट (बंडल्ड डाइल्यूएंट) का ही इस्तेमाल करें तथा प्रत्येक वायल में डाइल्यूएंट मिलाने के लिए अलग—अलग सिरिंज का इस्तेमाल करें।
- बी0सी0जी0, मिजिल्स एवं जे0ई0 वैक्सीन वाइल पर घोलने का समय अवश्य अंकित करें तथा किसी भी दशा में उपरोक्त वैक्सीन को घोलन समय से 4 घण्टे के पश्चात इस्तेमाल न किया जाय।
- विटामिन 'ए' की शीशी पर खोलने की तारीख अवश्य अंकित करें एवं शीशी खोलने के 8 सप्ताह के भीतर इस्तेमाल करना सुनिश्चित करें।
- टीकाकर्मी को बच्चे के टीकाकरण से पहले साथ में आये अभिभावक को सम्पूर्ण जानकारी देनी है, तत्पश्चात् वैक्सीन दी जानी है तथा टीकाकरण के पश्चात् लाभार्थी को 30 मिनट तक सत्र स्थल पर रोक कर रखना है जिससे कि टीकाकरण के पश्चात् लाभार्थी को किसी भी तरह की प्रतिकूल घटना (AEFI) होने पर तत्काल चिकित्साधिकारी/अधीक्षक को सूचित किया जा सके एवं बच्चे का समय से उपचार किया जा सके।

4. **ए0ई0एफ0आई0ः—**

टीकाकरण के मध्य लाभार्थियों को टीकाकरण के पश्चात् किसी तरह की प्रतिकूल घटना (ए0ई0एफ0आई0) होने की जानकारी दी जाये। ए0ई0एफ0आई0 की विस्तृत जानकारी एवं गाइड लाइन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में उपलब्ध करा दी गयी हैं तथा राज्य स्तर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों को कार्यशाला में प्रशिक्षित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन एन0एच0एम0 की वेबसाइट upnrhm.gov.in पर सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलबध करा दी गयी हैं कृपया अध्ययन करने का कष्ट करें।

- टीकाकरण के पश्चात् लाभार्थी को किसी तरह की प्रतिकूल घटना (ए0ई0एफ0आई0) होने पर ए0एन0एम0 द्वारा तत्काल चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक को सूचित किया जाये।
- **सीरियस और सीवियर** ए0ई0एफ0आई0 की तत्काल सूचना 24 घण्टे के भीतर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक द्वारा सी0आर0एफ0 (केस रिपोर्टिंग फॉर्म) भरकर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें।
- जिला प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा समिति की तत्काल बैठक कर सी0आर0एफ0 (केस रिपोर्टिंग फॉर्म) की प्रति aefiindia@gmail.com, aefiup14@gmail.com एवं sepioup@gmail.com तथा संबधित एस0एम0ओ0 यूनिट के माध्यम से राज्य स्तरीय डब्लू0एच0ओ0—एन0पी0एस0पी0 यूनिट पर भी भेजें एवं दूरभाष पर तत्काल सूचित करना सुनिश्चित करें।
- जिला प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा सी0आर0एफ0 प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर पी0सी0आई0एफ0 भरना है। तथा 70 दिनों के भीतर एफ0सी0आई0एफ0 एवं अन्य जांच/भर्ती संबंधित दस्तावेज पोस्टमार्टन रिपोर्ट आदि उपलब्ध जानकारियां उपरोक्तानुसार अधिकारियों को ई—मेल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें।

5. **टीकाकरण वेस्ट का सही निस्तारणः–**
टीकाकरण सत्र स्थल पर टीकाकर्मी द्वारा प्रत्येक टीका लगाने के पश्चात् ए0डी0 सिरिंज को हब कटर द्वारा काट कर सिरिंज का निडिल के साथ कटा हब तथा प्लास्टिक भाग अलग करना है। हब कटर के डिब्बे में ए0डी0 सिरिंज का निडिल के साथ कटा हब तथा टूटे वैक्सीन वायल एवं एम्प्यूल(Ampule)एकत्र किये जाने हैं। लाल प्लास्टिक बैग में कटी सिरिंज का प्लास्टिक भाग, खाली बिना टूटी वायल तथा इस्तेमाल हो चुके रूई के फोये को एकत्र किया जाना है तथा काले प्लास्टिक बैग में सूई के कैप तथा सिरिंज की पैकिंग आदि एकत्र किये जाने हैं। सत्र समाप्ति पर टीकाकरण वेस्ट को स्वास्थ्य इकाई पर लाकर 1 प्रतिशत् हाइपोक्लोराइट घोल में विसंक्रमित करने के पश्चात् शार्प वेस्ट (कटा हब निडिल के साथ, टूटे वायल एवं एम्प्यूल) को सेफ्टी पिट में निस्तारण किया जाय तथा कटी सिरिंज का प्लास्टिक भाग तथा खाली बिना टूटी वायल को रिसाइकिलिंग हेतु भेजा जाय।

6. **सुपरविजन एवं मॉनिटरिंगः–** टीकाकरण सत्र का पर्यवेक्षण जिला स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय चिकित्साधिकारियों,स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों, डी0पी0एम0, डी0सी0पी0एम0, बी0पी0एम एवं बी0सी0पी0एम0 द्वारा किया जाय। प्रत्येक टीकाकरण दिवस पर चिकित्साधिकारी/अन्य अधिकारी एवं पर्यवेक्षकगण कम से कम 2–3 सत्र का भ्रमण करेगें तथा सत्र स्थल पर पायी गयी कमियों या परेशानियों का तत्काल निराकरण करेगें। सत्र स्थल का पर्यवेक्षण कर आख्या निर्धारित पर्यवेक्षण चेक लिस्ट में अंकित करें एवं सायंकालीन ब्लाक/जिला स्तरीय बैठक में पायी गयी कमियों पर विस्तार से चर्चा कर सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिचित करें।

7. **प्रचार–प्रसार एवं सामाजिक गतिशीलताः–**
वी0एच0एन0डी0 सत्र पर लाभार्थियों की शत् प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु वृहद स्तर पर प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है एवं सामाजिक गतिशीलता की गतिविधियों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाना अति आवश्यक है। वी0एच0एन0डी0 सत्र पर टीकाकरण का बैनर अवश्य लगाया जाये। प्रचार–प्रसार हेतु समय–समय पर राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर ऑडियो/विडियो, प्रिन्टिंग, वॉल पेन्टिंग की जाती है। टीकाकरण सत्र से एक दिन पहले आशा गाँव में लाभार्थियों के घर जा कर टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित करेंगी तथा टीकाकरण सत्र पर लाभार्थियों को लायेंगी।

8. **टीकाकरण समीक्षा बैठक–**

16 जनवरी २०१६ को महानिदेशालय द्वारा प्रेषित जनपद और ब्लाक स्तरीय साप्ताहिक टीकाकरण समीक्षा बैठकों संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रत्येक ANM वार ड्यूलिस्ट के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा एवं वैक्सीन वेस्टेज का आंकलन करा जाय तथा उपलब्ध मॉनिटरिंग फीडबैक एवं अन्य पर्यवेक्षण बिन्दुओं के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही की जाय।

9. **रिपोर्टिंगः–** टीकाकरण कार्यक्रम की ब्लाक स्तर पर सत्रवार रिपोर्टिंग की जाय तथा दी गयी सेवाओं को Mother and child Tracking Software में अधुनान्त (अपडेट) किया जाय। माह के अन्त में HMIS PORTAL पर समस्त सूचनायें समय से अपलोड की जाये।

वित्तीय दिशा–निर्देश

C.1.a **जिला स्तरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण हेतु मोबिलिटीः**
जनपद स्तरीय अधिकारियों के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु भारत सरकार की वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 में रू0 250,000/–प्रति वर्ष प्रति जनपद की दर से अनुमति प्रदान की गयी है। इसमें वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था है। यदि राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं है तो वाहन को दिवस के हिसाब से नियमानुसार किराये पर लिया जा सकता है।

- नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की अग्रिम पर्यवेक्षण कार्ययोजना तैयार की जाय तथा जिला प्रतिरक्षण अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी उपलब्ध कराये गये निर्धारित पर्यवेक्षण चेक लिस्ट का उपयोग करेंगे।

- जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा दिवसवार क्षेत्रों में भ्रमण किये सत्रों की संख्या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण रिपोर्ट को सत्यापित किया जाय तथा पर्यवेक्षण के दौरान पायी गयी कमियाँ एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट अपर निदेशक यू0आई0पी0 को भेजी जाय। साप्ताहिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (पूर्व में प्रेषित) पर अपर निदेशक, यू0आई0पी0 को प्रत्येक सोमवार को भेजें।
- अपर निदेशक, यू0आई0पी0 जनपदों द्वारा कृत कार्यवाही की संकलित रिपोर्ट महानिदेशक, परिवार कल्याण तथा मिशन निदेशक एन0आर0एच0एम0 को प्रस्तुत करेगें।
- अपर निदेशक, यू0आई0पी0 माह के अन्त में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।
- उक्त धनराशि का उपयोग जनपद/मण्डल स्तरीय रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की मोबिलिटी हेतु रू0 2000/- प्रति माह भी किया जा सकता है।
- जिला प्रतिरक्षण अधिकारी व अन्य जनपद स्तरीय चिकित्साधिकारियों के द्वारा पर्यवेक्षण किये गये सत्रों की संख्या एवं व्यय को मासिक एम0एफ0आर0 में दर्शाया जाय।

सत्यापन योग्य संकेतक

- ➢ जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण किये गये नियमित टीकाकरण सत्रों की संख्या (पर्यवेक्षक चेक लिस्ट के अनुसार)।
- ➢ दिवसवार मोबिलिटी में व्यय की गयी धनराशि (पी0ओ0एल0 अथवा किराये का वाहन)।

C.1.c प्रिन्टिंग: Printing and dissemination of tally sheets] Monitoring forms etc.

मद में वर्ष 2016-17 के लिये भारत सरकार की आर.ओ.पी में रू0 **10**/- प्रति लाभार्थी (गर्भवती महिला) की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसके अन्तर्गत आशा पेमेन्ट वाउचर, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग प्रपत्र, टेलीशीट, कोल्ड चेन प्वाइंट्स पर वैक्सीन वितरण, स्टॉक रजिस्टर, टिकलर बैग, आशा ट्रेकिंग बुकलेट, ओपन वाइल मार्किंग हेतु सी0डी0 मार्कर पैन इत्यादि की उपलब्धता करायी जाय। समस्त सामग्री एवं प्रपत्रों की प्रिन्टिंग टेण्डर/कोटेशन के माध्यम से की जाय। मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड की प्रिन्टिंग हेतु मातृ-स्वास्थ्य से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है यदि एम0सी0पी0 कार्ड की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो इस मद का उपयोग किया जा सकता है। स्वीकृत धनराशि से जनपद स्तर पर प्रिन्टिंग सामग्री तथा प्रपत्रों का वास्तविक आंकलन करते हुये प्रिन्टिंग करा कर समस्त स्वास्थ्य इकाईयों को उपलब्ध करा दें। इस धनराशि से निम्न सामग्री एवं प्रपत्रों की प्रिन्टिंग करायी जानी है:-

- **टैली शीट**- टैली शीट के प्रारूप को वी0एच0एन0डी0 प्रारूपों के साथ समाहित किया गया है तथा महाप्रबन्धक कम्युनिटी प्रोसिस द्वारा इस हेतु धनराशि भी अवमुक्त की जा चुकी है। टैली शीट के प्रारूप को वी0एच0एन0डी0 सत्रों में ए0एन0एम0 द्वारा उपयोग किया जायेगा इसके लिये संसोधित टैलीसीट का प्रारूप भेजा जा चुका है। सत्र पर आये लाभार्थियों को टीकाकृत करने के पश्चात् टैलीशीट में विवरण भरा जायेगा। सत्र समाप्ति पर ए0एन0एम0 एवं आशा द्वारा छूटे हुये लाभार्थियों, अगले सत्र हेतु पात्र लाभार्थियों तथा नये लाभार्थियों की सूची (ड्यूलिस्ट) तैयार की जायेगी। आशा अगले सत्र में ड्यूलिस्ट के अनुसार लाभार्थियों को सत्र पर लाकर टीकाकरण करायेगी।टैली शीट प्रति टीकाकरण सत्र की दर से प्रिंट करायी जाय।
- **आशा पेमेन्ट वाउचर**- आशा पेमेन्ट वाउचर की बुकलेट (एक बुकलेट में 150 पेज-50 आशा पेमेन्ट वाउचर 3 प्रतियों में) की प्रिन्टिंग कराकर प्रत्येक ए0एन0एम0 को 2 बुकलेट उपलब्ध करायी जाय। यदि टीकाकरण सत्र पर आशा उपलब्ध है एवं उसके द्वारा लाभार्थियों को बुलाकर टीकाकरण कराया जा रहा है तो ए0एम0एन0 सत्र समाप्ति पर आशा पेमेन्ट वाउचर को तीन प्रतियों में भरकर सत्यापित कर एक प्रति आशा को, एक प्रति प्रभारी चिकित्साधिकारी को तथा एक प्रति स्वयं अपने पास रखेगी।

स्पेसीफिकेशन:

साइज	- 28.5 से0मी0 X 10 से0मी0
कागज	- 60 जी0एस0एम0 सेन्चुरी
पृष्ठों की संख्या	- (एक बुकलेट में 150 पेज- 50 आशा पेमेन्ट व वाउचर 3 प्रतियों में)

बाइडिंग — बुकलेट (प्रतियां 3 कलर में)
डिजाइन — संलग्न नमूने के अनुसार

- **पर्यवेक्षण चेकलिस्ट**— जनपद में वर्ष 16—17 हेतु नियोजित टीकाकरण सत्रों के 10 प्रतिशत का आंकलन करते हुये पर्यवेक्षण प्रपत्रों की प्रिटिंग की जाय। इन प्रपत्रों का समस्त जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय चिकित्साधिकारियों एवं अन्य पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण के समय उपयोग किया जायेगा।

स्पेसिफिकेशनः

साइज — 21.7.5 से0मी0 X 27.7 से0मी0
कागज — 60 जी0एस0एम0 सेन्चुरी
पृष्ठों की संख्या — 1 (छपाई दोनों तरफ)
डिजाइन — संलग्न नमूने के अनुसार

- **रिपोर्टिंग प्रपत्र**— रिपोर्टिंग प्रपत्रों का निम्न प्रकार हैः—

उपकेन्द्र रिपोर्टिंग प्रपत्र — कुल उपकेन्द्र X 12 माह X 2 प्रति
ब्लाक रिपोर्टिंग प्रपत्र — कुल ब्लाक X 12 माह X 2 प्रति
जनपद रिपोर्टिंग प्रपत्र — 12 माह X 2 प्रति

स्पेसिफिकेशनः

साइज — 21.7 से0मी0 X 27.7 से0मी0
कागज — 60 जी0एस0एम0 सेन्चुरी
पृष्ठों की संख्या — 2 (छपाई दोनों तरफ)
डिजाइन — संलग्न नमूने के अनुसार

- **आशा ट्रेकिंग बुकलेट**—प्रत्येक आशा द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त भ्रमण कर गर्भवती महिलाओं एवं दो वर्ष तक की आयु की बच्चों की सूची बनाकर उनकी टीकाकरण की स्थिति अंकित की जाएगी। आशा द्वारा अप्रतिरक्षित/अर्द्धप्रतिरक्षित लाभार्थियों की ड्यूलिस्ट बनाकर टीकाकरण सत्र पर लाभार्थियों को मोबिलाइज किया जाएगा। सत्र के उपरान्त ASHA अपनी ट्रेकिंग बुकलेट को अधुनान्त कर अगले सत्र में ड्यूलिस्ट के अनुसार लाभार्थियों को सत्र पर लाकर टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करेंगी।

स्पेसीफिकेशनः

साइज — लीगल साइज पेपर
कागज — 60 जी0एस0एम0 सन्चुरी
पृष्ठों की संख्या — 1 (छपाई दो तरफ)
डिजाइन — नमूने के अनुसार
बाइडिंग — बुकलेट

आशा ट्रेकिंग बुकलेट प्रति आशा एक की दर से प्रिंट करायी जाय।

सत्यापन योग्य संकेतक

- जनपद स्तर पर प्रिन्ट कराये प्रत्येक प्रपत्र की एक प्रति
- Stock Register (Entry and Distribution)
- टेण्डर/कोटेशन से सम्बन्धित रिकार्ड
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रिन्टिंग की गयी सामग्री का स्वास्थ्य इकाई में उपलब्ध स्टाक रजिस्टर में अंकित प्रिन्टिंग सामग्री का सत्यापन किया जायेगा। सत्र पर्यवेक्षण के दौरान प्रिन्टिंग करायी गयी सामग्री का सत्यापन किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण की आख्या में प्रिन्टिंग सामग्री का भी उल्लेख किया जायेगा।

C.1.e जनपद स्तर पर नियमित टीकाकरण की समीक्षा बैठक—

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नियमित टीकाकरण की 4 समीक्षा बैठकों के आयोजन हेतु भारत सरकार की वर्ष 2016—17 की आर0ओ0पी0 में रू0 100/— प्रतिभागी प्रति बैठक की दर से वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन समीक्षा बैठकों में 5 अधिकारी/कर्मचारी प्रति ब्लाक प्रतिभाग करेगें जिसमें प्रभारी चिकित्साधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, ब्लाक आई0सी0सी0/आई0ओ0 तथा ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भाग लेंगे। नियमित टीकाकरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जायेगी।

सत्यापन योग्य संकेतक

- समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त एवं तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही।
- जिला अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उक्त बैठकों की तारीख, बैठक की कार्यवृत्त तथा कृत कार्यवाही का महानिदेशक परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को भेजी जायेगी, जिसे भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

C.1.f ब्लाक स्तर पर नियमित टीकाकरण की समीक्षा बैठक–

ब्लाक स्तर पर ब्लाक के प्रभारी चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में आशाओं की त्रैमासिक समीक्षा बैठकों में रू0 50/– प्रतिभागी (आशा) को यात्रा हेतु मानदेय दिया जायेगा एवं रू0 25/– प्रतिभागियों की दर से ब्लाक के प्रभारी चिकित्साधिकारी को बैठक में आने वाले खर्चों जैसे चाय–पानी, स्टेशनरी, विविध खर्चों हेतु रखा जायेगा।

इन समीक्षा बैठकों में ए0एन0एम0 को भी बुलाया जायेगा, साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी, ब्लाक आई0सी0सी0/आई0ओ0, ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं आई0सी0डी0एस0 पर्यवेक्षकों आदि को भी बुलाया जा सकता है, किन्तु यात्रा हेतु मानदेय केवल आशा को ही दिया जायेगा।

सत्यापन योग्य संकेतक

- समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त।
- समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी को भेजी जायेगी।
- मुख्य चिकित्साधिकारी प्रत्येक ब्लाक की बैठकों की तारीख, बैठक की कार्यवृत्त तथा कृत कार्यवाही को महानिदेशक परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को भेजेंगे, जिसे भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

C.1.g Focus on slum and under served areas in Urban areas/alternative vaccinator for slums.

राष्ट्रीय नगरीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियमित टीकाकरण के सुदृढीकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों, शहरी क्षेत्रों एवं चिन्हित कस्बों के शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा की गई है। मलिन बस्तियों में 10,000 की जनसंख्या पर माह में 4 सत्र (2500 की जनसंख्या पर 1 सत्र) आयोजि त किये जाने है। **जिन मलिन एवं अतिपिछड़े क्षेत्रों में ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण सत्र आच्छादित नहीं है उन क्षेत्रों हेतु Hired Vaccinators का चयन जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त टीकाकरण कार्य कराया जायेगा।**

प्रत्येक सत्र हेतु 450/–(वैक्सीनेटर मानदेय 450/– प्रति सत्र) देय होगा। साथ ही 300 प्रतिमाह कन्टीजेन्सी हेतु प्रति मलिन बस्ती (10000 की जनसंख्या) पर स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार 2100/– प्रतिमाह प्रति मलिन बस्ती की दर से धनराशि व्यय की जायेगी। Hired Vaccinators का चयन जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त किया जायेगा। Hired Vaccinators गैर सरकारी/रिटायर्ड ए0एन0एम0, एल0एच0वी0, स्टाफ नर्स एवं फार्मेसिस्ट तथा शहरी क्षेत्रों में चिन्हित नर्सिंग स्कूल की फाईनल वर्ष की प्रशिक्षित छात्राये हो सकते हैं।

टीकाकरण सत्र कराने से पहले Hired Vaccinators का प्रशिक्षण शहरीय क्षेत्र के डी टाइप/अरबन फैमिली वेलफेयर सेन्टर/अरबन हेल्थ पोस्ट पर नियमित रूप से चल रहे सत्रों पर चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक महीने तक वास्तविक प्रशिक्षण दिलाने के पश्चात् ही फील्ड में टीकाकरण कार्य हेतु भेजा जाये। **टीकाकरण** सत्र का समय प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक रहेगा।

शहरी मलिन बस्तियों में टीकाकरण सत्र ऐसे स्थानों पर आयोजित किये जाये जहां पर घनी आबादी हो तथा अधिक से अधिक लाभार्थी टीकाकरण करा सकें। मलिन बस्तियों/अति पिछड़े क्षेत्रों की सूची डूडा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। टीकाकरण सत्रों का आयोजन आंगनबाड़ी केन्द्रों/डूडा सेन्टरों/प्राथमिक विद्यालयों पर ही किया जाये। Hired Vaccinators का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

सत्यापन योग्य संकेतक

- शहरी मलिन बस्तियों में माह में नियोजित एवं आयोजित सत्रों की संख्या एवं लक्ष्य के सापेक्ष टीकाकरण की उपलब्धि।
- Hired Vaccinators का बायोडाटा तथा अनुबन्ध की प्रति।
- Hired Vaccinators द्वारा किये गये सत्रों की संख्या एवं मानदेय भुगतान का विवरण।

C.1.h सत्र स्थल पर लाभार्थियों को लाकर टीकाकरण कराने के लिए आशा/आर0आई0 मोबिलाइजर हेतु।

मानेदय–

जनपदों में ग्रामीण एवं शहरी मलिन बस्तियों के क्षेत्रों में लाभार्थियों (गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों) को टीकाकरण सत्र स्थल पर लाकर टीकाकरण कराने हेतु आशा/आर0आई0 मोबिलाइजर को 150/– प्रति सत्र की दर से भुगतान किया जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

प्रत्येक आशा द्वारा अपने क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का सर्वे कर आशा ट्रैकिंग बुकलेट में भरा जायेगा तथा सूची को ए0एन0एम0 द्वारा 'मातृ एवं बाल स्वास्थ्य रजिस्टर' में अधुनान्त किया जायेगा। टीकाकरण सत्र के दौरान आशा समस्त पात्र लाभार्थियों की सूची (ड्यू लिस्ट) के अनुसार टीकाकरण सत्र स्थल पर लाकर ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण करायेगी। ए0एन0एम0 द्वारा टेलीशीट में लाभार्थियों का पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा तथा ए0एन0एम0 सत्र समाप्ति पर अगले सत्र के पात्र लाभार्थियों एवं छूटे हुये लाभार्थियों की सूची आशा को देगी। आशा इस सूची में नये लाभार्थी (गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु) को सम्मिलित करेगी। यह सूची अगले सत्र के लिए डयूलिस्ट होगी। सत्र समाप्ति पर ए0एन0एम0 द्वारा आशा के कार्य को संतोषजनक पाये जाने पर आशा पेमेन्ट वाउचर को 3 प्रतियों में भर कर सत्यापित किया जायेगा, जिसकी एक प्रति आशा को, एक प्रति प्रभारी चिकित्साधिकारी को तथा एक प्रति स्वयं ए0एन0एम0 अपने पास रखेगी। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा आशा पेमेन्ट वाउचर के अनुसार सत्रों की संख्या को ब्लाक आशा पेमेन्ट रजिस्टर में भरा जायेगा तथा माह के अन्त में आशा का भुगतान ई–ट्रांसफर द्वारा आशा के बैंक खाते में किया जायेगा। प्रत्येक आशा अपने क्षेत्र के लाभार्थियों के शत प्रतिशत टीकाकरण के लिए जिम्मेदार होगी ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर आशा तैनात नहीं हैं, उस क्षेत्र के लिए प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा निकट क्षेत्र की आशा को कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी।

शहरी मलिन बस्तियों (जनपद स्तर तथा कस्बे स्तर पर) में लाभार्थियों के मोबिलाइजेशन का कार्य शहरी आशा/आर0आई0 लिंक वर्कर (चिन्हित) द्वारा किया जाना है। शहरी आशा/लिंक वर्कर द्वारा पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जायेगी तथा लाभार्थियों को टीकाकरण सत्र स्थल पर लाकर टीकाकरण कराया जायेगा। शहरी आशा/आर0आई0 लिंक वर्कर का भुगतान भी नियमानुसार किया जाये।

सत्यापन योग्य संकेतक

- ब्लाक स्तरीय एवं शहरी मलिन बस्तियों की कार्ययोजना।
- कार्ययोजना के अनुसार सत्र आयोजन।
- आशाओं/आर0आई0 लिंक वर्कर द्वारा कराये गये सत्रों की संख्या।
- प्रत्येक आशा/आर0आई0 लिंक वर्कर के लाभार्थियों की सूचना एवं उनका टीकाकरण।
- सत्रों पर लाभार्थियों को दी गयी सेवाओं की अधुनान्त सूची का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल में अधुनान्तीकरण
- आशा पेमेन्ट वाउचर (ए0एन0एम0 द्वारा सत्यापित किया गया)
- ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लाक स्तरीय आशा पेमेन्ट रजिस्टर तथा आशा पेमेन्ट वाउचर से आशाओं के भुगतान सत्यापित किये जायेगें।

C.1.i दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में वैक्सीन पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था:

वर्ष 2016–17 में अतिसंवेदन शील क्षेत्रों (एच0आर0जी0/एच0आर0ए0) में टीकाकरण सत्र स्थलों पर वैक्सीन पहुंचाने हेतु भारत सरकार द्वारा 150/– प्रति टीकाकारण सत्र की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त राशि का उपयोग टीकाकरण स्थल तक वैक्सीन पहुंचाने हेतु वाहन द्वारा भी किया जा सकता है। (**उदहारण के लिए एक रूट पर पड़ने वाले** 10 सत्रों **की वैक्सीन एक साथ मिला** कर अर्थात् 1500 रू0 प्रति वाहन)

C.1.j सत्र स्थल पर वैक्सीन पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था :

वर्ष 2016–17 में जनपदों में ग्रामीण एवं शहरी मलिन बस्तियों में नियमित टीकाकरण सत्रों में सत्र स्थल पर वैक्सीन पहुंचाने हेतु 75/– प्रति सत्र की दर से धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है। उक्त राशि का उपयोग टीकाकरण स्थल तक वैक्सीन पहुंचाने हेतु वाहन द्वारा भी किया जा सकता है। (**उदहारण के लिए एक रूट पर पड़ने वाले 4** सत्रों **की वैक्सीन एक साथ मिला** कर अर्थात् 300 रू0 प्रति **दोपहिया** वाहन)

सत्र स्थल पर वैक्सीन समय से पूर्व पहुंचायी जायेगी जिससे कि सत्र समय से प्रारम्भ हो सके। सत्र समाप्ति के पश्चात् उसी व्यक्ति द्वारा वैक्सीन कैरियर को उसी दिन इकाई पर वापस लाया जायेगा। वैक्सीन दुपहिया, तिपहिया या चार पहिया वाहन से पहुंचायी जा सकती है। वैक्सीन पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नम्बर, वैक्सीन पहुंचाने का क्षेत्र इत्यादि कार्ययोजना में अंकित किया जाय। वैक्सीन पहुंचाने वाले व्यक्ति को माह के अन्त में सत्रों के हिसाब से भुगतान एकाउंट पेई चेक के माध्यम से अथवा ई–ट्रान्सफर द्वारा किया जायेगा।

सत्यापन योग्य संकेतक

- कार्ययोजना के अनुसार नियोजित / आयोजित सत्रों की संख्या।
- टीकाकरण सत्रों की संख्या जिसमें वैक्सीन पहुंचायी गयी (ब्लाक स्तर पर रजिस्टर में यह सूचना अंकित की जायेगी।)
- ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा वैक्सीन पहुंचाने वाले व्यक्ति से आकस्मिक फोन पर बात करके सत्यापित किया जायेगा।

C.1.k उपकेन्द्र कार्ययोजना तैयार करने हेतु :

वर्ष 2016–17 में नियमित टीकाकरण की कार्ययोजना हेतु उपकेन्द्र के लिए 100/– प्रति उपकेन्द्र, की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इस धनराशि का उपयोग उपकेन्द्र की कार्ययोजना बनाने एवं उसका अद्युनान्तीकरण करने हेतु किया जायेगा।

C.1.l ब्लाक की कार्ययोजना तैयार करने हेतु :

वर्ष 2016–17 में माइक्रोप्लान बनाने एवं उसका अद्युनान्तीकरण करने हेतु ब्लाक स्तर पर प्रति ब्लाक/पी0एच0सी0 हेतु रू0 1000/– की दर से एवं प्रति जनपद रू0 2000/– धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग कार्ययोजना बैठक, फार्मेट प्रिन्टिंग तथा माइक्रोप्लान के कम्प्यूटरीकरण हेतु किया जायेगा।

C.1.m वैक्सीन पहुंचाने हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था :

वर्ष 2016–17 में राज्य मुख्यालय/रीजनल वैक्सीन डिपो, मण्डल मुख्यालयों से जनपद तथा ब्लाक स्तर पर वैक्सीन वैन से वैक्सीन ले जाने हेतु प्रत्येक जनपद को रू0 1,50,000/– प्रति जनपद की दर से धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। इस धनराशि का उपयोग वैक्सीन ले जाने में पी0ओ0एल0 की व्यवस्था में किया जाना है। वैक्सीन वाहन की लॉगबुक का मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा मासिक सत्यापन किया जायेगा।

C.1.n Computer Consumables and Internet हेतु :

वर्ष 2016–17 में जनपद स्तर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के कार्यालय में स्थित कम्प्यूटर के इन्टरनेट हेतु 400/– प्रति माह की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई है।

C.1.o Red/Black Plastic Bags etc :

वर्ष 2016–17 में लाल एवं काले प्लास्टिक बैग का उपयोग टीकाकरण सत्र पर टीकाकरण वेस्ट को स्वास्थ्य इकाई पर लाने हेतु किया जायेगा। इस मद में लाल/काले रंग की पालिथिन प्लास्टिक बैग के जनपद स्तर पर क्रय हेतु रू0 3/–प्रति प्लास्टिक बैग प्रति टीकाकरण सत्र की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई है। धनराशि का उपयोग नियमानुसार क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाना है।

C.1p. Hub Cuttter/Bleach/Hypo Chlorite solution/Twin Buckets :

वर्ष 2016–17 में हब कटर/हाइपो क्लोराइट सेल्यूशन खरीदने हेतु रू0 1200 प्रति पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 प्रति वर्ष की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। उपर्युक्त सामग्री का क्रय नियमानुसार किया जाय।

C.1q Safety Pits :

वर्ष 2016–17 में स्वास्थ्य इकाई पर टीकाकरण वेस्ट (हब कटर द्वारा काटी गयी निडिल एवं टूटी हुई वायल को विसंक्रमित करने उपरान्त) के लिये Safety pits में डाला जाना है। Safety Pits के निर्माण हेतु रू0 5250/ प्रति पिट की दर से भारत सरकार द्वारा धनराशि की स्वीकृति दी गयी है। धनराशि का उपयोग एम0ओ0 ट्रेनिंग माड्यूल में दिये गये मानक के आधार पर प्रत्येक कोल्ड चेन प्वाइन्टस पर आवश्यकतानुसार सेफ्टी पिट के निर्माण में किया जायेगा। निर्माण किये गये Safety Pits का ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा।

C.1.r. State Specific Requirement

Annual maintenance Operations for WIC/WIF

- प्रदेश में स्थापित 36 वाक् इन कूलर/वाक् इन फ्रिजर के **Annual maintenance operation** हेतु राज्य स्तर एवं मण्डलीय स्तर पर रू0 40000/– प्रति इकाई की दर से 14.40 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। उक्त धनराशि का उपयोग डब्लू0आई0सी0/डब्लू0आई0एफ0 के वार्षिक मेंटीनेंस हेतु नियमानुसार किया जायेगा तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से उक्त मशीनों की रिपेयरिंग करायी जा सकती है। जो मशीने अभी वारंटी के अन्दर है, उनकी **maintenance** सप्लायर द्वारा करायी जाय।

राज्य एवं मण्डल स्तरीय कोल्डचेन डिपो (डब्लू0आई0सी0/डब्लू0आई0एफ0 यूनिट) में विद्युत व्यवस्था हेतु धनराशि : राज्य एवं मण्डल में स्थापित 36 वाक–इन कूलर/वाक–इन फ्रीजर (Walk in Cooler / Walk in Freezer) में व्यय होने वाली विद्युत व्यवस्था के बिल भुगतान हेतु रू0 1,00,000/– प्रति डब्लू0आई0सी0/डब्लू0आई0एफ0 प्रति वर्ष की दर से धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। इस धनराशि का

उपयोग उन्हीं स्थानों के लिये किया जाये जहॉ पर वाक–इन कूलर/वाक–इन फ्रीजर हेतु अलग से विद्युत कनेक्शन/मीटर है।

सत्यापन योग्य संकेतक

- वाक–इन कूलर/वाक–इन फ्रीजर का विद्युत कनेक्शन
- विद्युत बिल भुगतान किये गये बिलों के प्रति।
- मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा समय–समय पर सत्यापन किया जाय।

राज्य एवं मण्डल स्तर के वैक्सीन स्टोरेज प्वाइन्ट्स पर जनरेटर हेतु पी0ओ0एल0 तथा आपरे□नल एक्सपेन्सेज– वर्ष 2016–17 में भारत सरकार की आर0ओ0पी0 में मण्डलीय एवं राज्य स्तर पर स्थापित वैक्सीन स्टोर प्वाइंट्स हेतु रू0 2,00,000/– प्रति वैक्सीन स्टोर प्वाइन्ट्स की दर से धनराशि स्वीकृत है। उक्त धनराशि का उपयोग जनरेटर हेतु पी0ओ0एल0 एवं बैटरी हेतु तथा वैक्सीन को मण्डल से रीजनल डिपो तक लाने हेतु पी0ओ0एल0 मद में उपयोग किया जा सकता है।

सत्यापन योग्य संकेतक

मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में विद्युत रोस्टर की प्रति।

- जनरेटर लॉग बुक में प्रतिदिन विद्युत कटौती अंकित की जानी है।
- पट्रोल पम्प द्वारा दी गई डीजल क्रय की रसीद।
- मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा समय–समय पर जनरेटर लॉग बुक का सत्यापन किया जाये।

जनपद स्तर के वैक्सीन स्टोरेज प्वाइन्ट्स पर जनरेटर हेतु पी0ओ0एल0 तथा आपरेशनल एक्सपेन्सेज– वर्ष 2016–17 में भारत सरकार की आर0ओ0पी0 में जनपद स्तर पर स्थापित वैक्सीन स्टोर प्वाइंट्स हेतु रू0 1,20,000/– प्रति वैक्सीन स्टोर प्वाइन्ट्स की दर से धनराशि स्वीकृत है। उक्त धनराशि का उपयोग वैक्सीन स्टोरेज प्वाइन्ट्स पर जनरेटर हेतु पी0ओ0एल0 एवं बैटरी हेतु पी0ओ0एल0 मद में उपयोग किया जा सकता है।

सत्यापन योग्य संकेतक

- मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में विद्युत रोस्टर की प्रति।
- जनरेटर लॉग बुक में प्रतिदिन विद्युत कटौती अंकित की जानी है।
- पेट्रोल पम्प द्वारा दी गई डीजल क्रय की रसीद।
- जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा समय–समय पर जनरेटर लॉग बुक का सत्यापन किया जाये।

- AEFI (Adverse Effect following Immunization) Drug Kit- बच्चों में टीकाकरण के पश्चात् प्रतिकूल घटना के समुचित उपचार हेतु प्रत्येक जनपद एवं ब्लाक स्तरीय चिकित्साधिकारियों को AEFI Drug Kit उपलब्ध करायी गयी है। उन्हीं AEFI Drug Kit में आवश्यकतानुसार Drug Replace (मेडिकल ऑफीसर मॅड्यूल में दी गयी लिस्ट के अनुसार)करने के लिये तथा जिन Facilities में AEFI Drug Kit उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, केवल वहीं के लिये AEFI Drug Kit खरीदने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। AEFI Drug Kit हेतु आवश्यक औषधियां जनपद स्तर पर नियमानुसार अनुबन्ध दरों पर क्रय कर चिकित्साधिकारियों को वितरित की जायेगी। इस मद में रू0 200/–प्रति किट की दर से कुल 5000 किट हेतु रू0 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह धनराशि राज्य स्तर पर रखी गयी है। जिसे आवश्यकतानुसार जनपदों को वितरित किया जायेगा।

C.1s. Teeka Express:

जनपद श्रावस्ती हेतु वर्ष 2016–17 में रू0 62.75 लाख की धनराशि टीका एक्सप्रेस के सफल संचालन हेतु स्वीकृत की गयी है। टीका एक्सप्रेस के सफल संचालन हेत विस्तृत दिशा–निर्देश भेजे जा चुके हैं।

C.1.u JE Campaign Operational Cost:

वर्ष 2016–17 में जे0ई0 टीकाकरण अभियान के लिये भारत सरकार द्वारा रू0 100.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। यह धनराशि राज्य स्तर पर रखी गयी है। जिसे आवश्यकतानुसार जनपदों को वितरित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से प्रेषित किए जाएंगे।

C.2.2 जनपद स्तर पर तैनात कम्प्यूटर सहायक के मानदेय हेतुः

प्रत्येक जनपद में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के कार्यालय में संविदा पर तैनात नियमित टीकाकरण कम्प्यूटर सहायक के मानदेय हेतु रू0 12,127/– प्रति माह की दर से कुल 12 माह हेतु मानदेय की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। नियमित टीकाकरण कम्प्यूटर सहायकों के पुनर्अनुबन्ध हेतु पूर्व में दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं, यदि किसी जिले में पद रिक्त हो तो जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त निर्देशों के अनुरूप संविदा पर तत्काल तैनाती कर लें। प्रत्येक कम्प्यूटर सहायक के कार्यों का त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाय तथा निर्धारित प्रपत्र पर मूल्यांकन रिपोर्ट एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 के आर0आई0 अनुभाग में भेजी जाय।

भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की गयी है कि प्रत्येक जनपद के मुख्यचिकित्साधिकारी कम्प्यूटर सहायक के कुल स्वीकृत पद, भरे हुये पद तथा रिक्तियों की सूचना तत्काल महानिदेशक परिवार कल्याण तथा मिशन निदेशक एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को भेजें ताकि सूचना भारत सरकार को शीघ्र प्रेषित की जा सके।

C.3. नियमित टीकाकरण हेतु प्रशिक्षण:

नियमित टीकारण कार्यक्रम के अर्न्तगत मण्डल स्तर (आर0एच0एफ0पी0टी0सी0) पर चिकित्सा अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित है तथा जनपद स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (पु0/म0) का दो दिवसीय प्रशिक्षण, कोल्ड चेन हैण्डलर का एक दिवसीय, डाटा हैण्डलर (ए0आर0ओ0) का एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित है। इस संबध में प्रशिक्षण केन्द्र स्तर पर धनराशि शीघ्र ही अवमुक्त की जायेगी।

C.3.1 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण:-

इस वर्ष सभी जनपदों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का नियमित टीकाकरण पर जिसमें हेपेटाइटिस बी, खसरा तथा जे0ई0 वैक्सीन पर भी जानकारी दी जानी है, हेतु रू0 46200/- प्रति प्रशिक्षण सत्र की दर से वित्तीय अनुमति प्रदान की गयी है।

इस प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक बैच में 20 प्रतिभागियों (अधिकतम) को वर्ष 15-16 में राज्य स्तर पर प्रशिक्षित चार प्रशिक्षको द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रतिभागियों में ए0एन0एम0, एम0पी0डब्लू0(पु0), एल0एच0वी0, हेल्थ असिस्टेंट (म0/पु0), नर्स, मिडवाईफ, शहरी क्षेत्र के हायर्ड वैक्सीनेटर को सम्मिलिति किया जाना है। जनपदों को इस मद में पूर्व में अवमुक्त धनराशि के उपयोग के उपरान्त भैतिक प्रगति राज्य स्तर पर उपलब्ध कराने के बाद अवमुक्त की जायेगी तथा प्रशिक्षण के लिये प्रथक से निर्देश दिये जायेगे।

यह धनराशि निम्न मानकों के अनुसार है-

मद	दर (रू0)	संख्या	कुल दिवस	कुल धनराशि
प्रतिभागियों हेतु डी0ए0	300/ दिवस	20	2	रू0 12000
प्रशिक्षकों हेतु डी0ए0	500/ दिवस	4	2	रू0 4000
प्रतिभागियों हेतु टी0ए0	400	20	1	रू0 8000
जिला स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु टी0ए0	800	4	1	रू0 3200
भोजन व्यवस्था- तीन बार प्रतिदिन	200	24	2	रू0 9600
कंटीजेंसी				रू0 7000
इंस्टिट्यूशनल ओवर हेड				रू0 2400
कुल योग प्रति बैच				रू0 46200

C.3.2 -आर0एफ0पी0टी0सी0 पर चिकित्सा अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण:-

चिकित्सा अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के 11 कियाशील मंडलीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों (आर0एफ0टी0सी0) पर आयोजित किया जायेगा तथा इसके लिए रू0 65600/- प्रति प्रशिक्षण सत्र की दर से वित्तीय अनुमति प्रदान की गई है। यह 11 मंडलीय प्रशिक्षण केन्द्र हैं-आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, फैजाबाद, झांसी, कानपुर नगर, मुरादाबाद एवं वाराणसी।

उक्त धनराशि डी0एच0एस0 के माध्यम से प्रधानाचार्य, आर0एफ0पी0टी0सी0 को निर्गत की जायेगी तथा सभी आर0एफ0पी0टी0सी0 के प्रधानाचार्य उक्त प्रशिक्षण कराने के लिए नोडल अधिकारी नामित किये जाते हैं तथा सभी यह प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।

यह धनराशि निम्न मानकों के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। प्रशिक्षण के लिये प्रथक से निर्देश दिये जायेगे। राज्य स्तर पर डब्लू0एच0ओ0 के सहयोग से आर0एफ0पी0टी0सी0 के जनपदों के चिकित्सा अधिकारियों की टी0ओ0टी0 कराई जायेगी। टी0ओ0टी0 में प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से आर0एफ0पी0टी0सी0 स्तर पर नये/ अप्रशिक्षित चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जायेगा जिसके निर्देश बाद में दिये जायेंगे।

मद	दर (रू0)	संख्या	कुल दिवस	कुल धनराशि
प्रतिभागियों हेतु डी0ए0	400/ दिवस	20	3	रू0 24000
मंडल स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु डी0ए0	500/ दिवस	4	3	रू0 6000
प्रतिभागियों हेतु टी0ए0	500	20	1	रू0 10,000
मंडल स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु टी0ए0	500	4	1	रू0 2000
भोजन व्यवस्था- तीन बार प्रतिदिन	200	24	3	रू0 14400
कंटीजेंसी				रू0 7000
इंस्टिट्यूशनल ओवर हेड				रू0 2200
कुल योग प्रति बैच				रू0 65600

C.3.4 –कोल्ड चेन हैण्डलर हेतु प्रशिक्षणः–

इस वर्ष समस्त कोल्ड चेन हैण्डलर की जनपद स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु वित्तीय अनुमति प्रदान की गयी है। इस प्रशिक्षण में राज्य स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा समस्त कोल्ड चेन हैंडलरों को प्रशिक्षित किया जायेगा। (20 प्रतिभागी प्रति बैच)

यह धनराशि निम्न मानकों के आधार पर अवमुक्त की जा रही है।

मद	दर (रू0)	संख्या	कुल दिवस
प्रतिभागियों हेतु डी0ए0	100 / दिवस	वास्तविक	2
प्रशिक्षकों हेतु डी0ए0	500 / दिवस	4 / वास्तविक	2
प्रतिभागियों हेतु टी0ए0	200	वास्तविक	2
प्रशिक्षकों हेतु टी0ए0	850 प्रति प्रशिक्षक	3	2
भोजन व्यवस्था– तीन बार प्रतिदिन	150	वास्तविक	2
कंटीजेंसी	100 प्रति प्रतिभागी	वास्तविक	1
इंस्टिट्यूशनल ओवर हेड	850		1

जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों को यूनीसेफ के सहयोग से टी0ओ0टी0 के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। टी0ओ0टी0 पूर्ण होने के उपरान्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी अपने जनपद में प्रषिक्षण करायेंगे जिसकी सुचना प्रशिक्षण पूर्व राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी को देनी होगी।

C.3.5 जनपद स्तर पर ब्लाक डाटा हैंडलर (एच0एम0आई0एस0 फीडिंग/रिपोर्ट कम्पाइलेशन नोडल पर्सन) हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षणः–

इस वर्ष सभी जनपदों में समस्त डाटा हैंडलर हेतु नियमित टीकाकरण से संबधित रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग पर एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु वित्तीय अनुमति प्रदान की गई है। यही प्रशिक्षण जनपद स्तर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी तथा जिला कोल्ड चेन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

इन प्रशिक्षणों हेतु धनराशि रू0 500/– प्रति प्रतिभागी के आधार पर अवमुक्त की जानी है।

उक्त समस्त प्रशिक्षणों के संदर्भ में ध्यान रखें किः–

– तालिका अनुसार व्यय सीमा के अंदर ही प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए।

– इंस्टिट्यूशनल ओवरहेंड का उपयोग प्रशिक्षण के दौरान भ्रमण, प्रशिक्षण स्थल के किराए हेतु (उचित प्रशिक्षण स्थल उपलब्ध न होने की स्थिति में) तथा ऑडियो–वीडियो के प्रबंध हेतु किया जाएगा।

– बी0एच0डब्लू0 का प्रशिक्षण राज्य स्तर से उपलब्ध कराये गये माड्यूल (सी0डी0 के माध्यम से) द्वारा।

– सभी चिकित्सा अधिकारी का प्रशिक्षण एम0ओ0 हैंडबुक ऑन आर0आई0 के माध्यम से।

सत्यापन योग्य संकेतः–

– प्रतिभागियों की उपस्थिति सूची

– फोटोग्राफ, वीडियो क्लिपिंग के साथ व्यय विवरण।

C.4. कोल्ड चेन रख–रखावः इस मद में प्रत्येक जनपद को रू0 15000/– प्रति जनपद प्रति वर्ष तथा रू0 750/– प्रति पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 कुल 1158 इकाईयों हेतु प्रति वर्ष की दर से भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि को जनपद पर पूल करते हुये जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के राय एव आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाये ।

C.5 ASHA Incentive for full immunization: इस मद में 0–1 वर्ष के बच्चों को सभी निर्धारित वैक्सीन लगवाने हेतु आशा को रू0 100/–प्रति पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे की दर तथा रू0 50/– प्रति बच्चे को दो वर्ष की आयु तक सभी निर्धारित टीका/बूस्टर इत्यादि लगवाने पर अतिरिक्त देय होगा। इस मद में कुल रू0 150/– प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

तदनुसार जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में उपलब्ध धनराशि से समस्त गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करें। वित्तीय अनियमिततायें न होने पाये इसके लिये धनराशि का उपयोग जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त राज्य स्तर से उपलब्ध कराये गये "State Financial Manual"के अनुसार वित्तीय प्रबन्धन कार्यान्वित किया जाय तथा धनराशि का किसी भी प्रकार का व्यायावर्तन (Diversion) न किया जाय।

जिस हेड में धनराशि डी0एच0एस0 से संबधित आर0एफ0पी0टी0सी0 या मंडल को निर्गत की जानी है वह समय से निर्गत की जाये, जिससे प्रशिक्षण कार्य बाधित न हो।

धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के

उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाय।

व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखा बहियाँ, बिल बाउचर व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सत्य मित्र)
महानिदेशक
परिवार कल्याण।

पत्रांकः—अ0नि0 / यू0आई0पी0 / कैम्प / आर.आई. / 2016—17 / दिनांकित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय / जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, एन0एच0एच0, एस0पी,एम0यू0, लखनऊ।
11. महाप्रबन्धक एम0आई0एस0, एन0एच0एम0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि आर0आई0 की गाइड लाइन को एन0एच0एम0 की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. समस्त सहयोगी संस्थायें, उ0प्र0, लखनऊ। (रोटरी, यूनीसेफ, कोर, यू0एन0डी0पी0, टी0एस0यू0, आई0टी0एस0यू0)।
13. एन0पी0एस0पी0 (डब्ल्यू0एच0ओ0), जगत नारायण रोड, लखनऊ।

(ए0पी0 चतुर्वेदी)
राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी।